

# झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

किमिनल अपील (डी० बी०) सं०-76 वर्ष 2019  
के साथ

आई०ए० संख्या 1342 वर्ष 2019

रोशन उरांव

..... अपीलार्थी

बनाम्

भारत संघ

द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी

..... प्रतिवादी

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति श्री एच०सी० मिश्रा

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

अपीलार्थी के लिए :- श्री ए०के० चतुर्वेदी, अधिवक्ता।

प्रतिवादी के लिए :- श्री रोहित रंजन प्रसाद, ए०पी०पी०।

04/11.03.2019 राष्ट्रीय जाँच एजेंसी अधिनियम की धारा 21 (5) के प्रावधान को देखते हुए, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता इस अपील को वापस लेने का इजाजत माँगते हैं।

यह आपराधिक अपील तदनुसार वापस लेने के चलते खारिज किया जाता है।

उपरोक्त इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन भी खारिज हो गया है।

ह०

(एच०सी० मिश्रा, न्याया०)

ह०

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया०)